

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.49/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 2018

सा.का.नि. (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (1) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 4 अगस्त, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"14 क	05119911	आर्टेमिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित हो	15%	-	-";

- (2) क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"21 ख	0713 20 20	बंगाल ग्राम (देसी चना)	60%	-	-
21 ग	0713 20 90	चिकपी (गार्बान्जोस)	60%	-	-
21घ	0713 40 00	लेन्टिन (मसूर)	30%	-	-";

- (3) क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"24 क	08021100	सभी वस्तुएं	35/- रुपए प्रति	-	-

			कि.ग्रा.		
24 ख	0802 12 00	सभी वस्तुएं	100/- रूपए प्रति कि.ग्रा.	-	-“;

- (4) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“26 क	0802 3100	सभी वस्तुएं	100%	-	-“;

- (5) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“32 क	0808 10 00	सभी वस्तुएं	50%	-	-“;

- (6) क्रम संख्या 169 में, कॉलम (2) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(2)
“28 (2823 00 10, 2809 20 10 or 2810 00 20 को छोड़कर);”

- (7) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“177क	2810 00 20	बोरिक एसिड	7.5%	-	-“;

- (8) क्रम संख्या 249 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“249क	3822 00 90	डायग्नोस्टिक रिजेंट्स	10%	-	-“;

- (9) क्रम संख्या 250 में, कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
क्रम संख्या 250क से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं”;

- (10) क्रम संख्या 250 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"250क.	3824 99 90	फाउंडरी माउल्डस के बाइंडर्स	7.5%	-	-";

- (11) क्रम संख्या 365 में, कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
"क्रम संख्या 371 और 371क के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं";

- (12) क्रम संख्या 366 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"366	72 (7202 60 00, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 11 00 72253090, 72254019, 7225 50 या 7225 99 00 को छोड़कर)	(i) क्रम संख्या 367, 368, 369, 370, 371, 371ख और 376 के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं; (ii) पुराने और खामियां वाले सामान जो कि अध्याय 72 के अंतर्गत आते हों, से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं	5%	-	-";

- (13) क्रम संख्या 371 में, कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
"क्रम संख्या 371क की वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं";

- (14) क्रम संख्या 371 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"371क	72101210, 721012 90	सभी वस्तुएं	12.5 %	-	-
371ख	72191200, 72191300, 72192190, 721990 90	सभी वस्तुएं	7.5%	-	-";

- (15) क्रम संख्या 376 में, कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
"क्रम संख्या 371ख की वस्तुओं और पुराने और खामियां वाली वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं";

- (16) क्रम संख्या 376 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"376क	7225 11 00	सभी वस्तुएं	5%	-	-

- (17) क्रम संख्या 377 में, कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
"क्रम संख्या 377क की वस्तुओं [स्कू (7318 15 00) और सिम साकेट/अन्य मैकेनिकल आइटम (मेटल) (7326 90 99), सेल्युलर मोबाइल फोन में प्रयोग किए जाने वाले से भिन्न] से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं";

(18) क्रम संख्या 377 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"377A	73072900, 73079990, 73089090, 73102990, 73181500, 73181600, 73182990, 73209090, 73259999, 73261990, 73269099	सभी वस्तुएं [स्कू (7318 15 00) और सिम साकेट/अन्य मैकेनिकल आइटम (मेटल) (7326 90 99), सेल्युलर मोबाइल फोन में प्रयोग किए जाने वाले से भिन्न]	10%	-	-";

2. पहले परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक 4 अगस्त, 2018 से अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 14, 21ग, 21घ, 24क, 24ख, 26क, 32क, 177, 177क, 249क, 250क, 371क, 371ख, 376क और 377क के समक्ष की प्रविष्टि में निहित कोई भी बात संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलतः उत्पादित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।”

3. अन्यथा ऐसा प्रावधान किया जाये, यह अधिसूचना उस तारीख पर लागू होगी जब केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी किया जायेगा।

(फाइल संख्या 341/15/2018- टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 14 जून, 2018, सा.का.नि. 562 (अ), दिनांक 14 जून, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।